न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 95/2014 **दायरा दिनांक : 12.05.2014**

उनवान

1— करण सिंह आत्मज इन्दरसिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

2— प्रतापसिंह आत्मज इन्दरसिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

3— नैन सिंह आत्मज इन्दरसिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

4— मोहन बाई पुत्री इन्दरसिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

5— गुड्डीबाई पुत्री इन्दरसिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

6— मुन्नाबाई पुत्री इन्दरसिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

7— भंवर सिंह आत्मज भुवानीसिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड मृतक जर्ये कायम मुकामान :—

7/1— शोदानसिंह आत्मल भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

8— हरिसिंह आत्मज भुवानीसिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड मृतक जर्ये कायम मुकामान :—

8/1— अर्जुन सिंह पुत्र हरिसिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

8/2– नाथू सिंह पुत्र हरिसिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

8/3– श्रीमती रतनबाई बेवा हरिसिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

8/4– पूरीबाई पुत्री हरिसिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

8/5– हंसुबाई पुत्री हरिसिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

8/6– हरेकंवरबाई पुत्री हरिसिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– भगवानसिंह आत्मज कालूसिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

2– नवलसिंह आत्मज कालूसिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

3– रतनकुंवर बेवा कालूसिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

4– कृष्णाकुंवर पुत्री कालूसिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

5– गोपाकुंवर पुत्री कालूसिंह, जाति राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

6– स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड .... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री तंवर सिंह झाला, श्री मोहनलाल मेडतवाल एवं

श्री नवनीत चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री मोहम्मद मन्सूर आलम अभिभाषक रेस्पोडेंट की

ओर से

निर्णय **दिनांक : 02.01.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 131/2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88 व 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम निपानिया तहसील गंगधार में आराजी खसरा नं. 167 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वादीगण के खातेदारी और कब्जेकाश्त की है। वर्तमान में यह आराजी प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नं. 129 और 132 है। आराजी वादीगण की पैतृक है। वादीगण के पिता कालूसिंह व उनके पिता नाथूसिंह के खाते में दर्ज थी। कालूसिंह का देहांत हो चुका हैं। वादीगण उनके वारिस है। अन्य कोई उनका वारिस नहीं है। कब्जा आराजी पर वादीगण का है। भू–प्रबन्ध विभाग ने वादीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अवैध रूप से आराजी प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के खाते में दर्ज कर दी है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वादीगण का दावा स्वीकार कर उन्हें वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर अपने निर्णय दिनांक 31–03–2014 से दावा वादी डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के काउंटर क्लेम पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है। प्रतिवादी नं. 7 की मृत्यु हो चुकी है। उनके कायम मुकाम नहीं बनाये गये है। मृत व्यक्ति के खिलाफ डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलांटगण का है। कब्जे का बाबत् अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय पारित नहीं किया हैं। अपीलांट की साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

अपील में अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 41 नियम 27 पेशकर यह कथन किया है कि अपीलांट राजस्व रिकार्ड की कुछ नकले पेश करना चाहते है, जो प्रकरण से संबंधित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इन दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाये। जो दस्तावेजात सलंग्न किये गये है, उनमें नकल जमाबंदी संवत् 2059 से 62 खाता संख्या नया 5 पुराना 6 पेश की है, जिसमें कुल 13 किता की 27 बीघा 1 बिस्वा आराजी इन्द्रसिंह के खाते में दर्ज है। इसमें वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 167 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा शामिल है। इसमें नामान्तरण संख्या 208 का नोट अंकित है। नकल जमाबंदी संवत् 2063 से 66 के अनुसार वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण के खाते में दर्ज है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी सवंत् 2067 से 70 नया खाता संख्या 14, खसरा गिरदावरी खसरा संख्या 167 सवंत् 2064, 2067, 2070 नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2063 पेश की गई है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि दस्तावेजात अपीलांट ने सन् 2006 से 2014 के मध्य प्राप्त कर लिये थे। उन्हें सन् 2017 में इतने विलंब से पेश करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया है। दस्तावेज प्रकरण से प्रासंगिक नहीं है। शपथ पत्र भी पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

हमने पेश किये दस्तावेजात का अवलोकन किया। दस्तावेज राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियां है और प्रकरण से संबंधित है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पेश किये दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दोराने बहस कथन किया कि भंवरसिंह की मृत्यु अधीनस्थ न्यायालय में वाद लंबित रहने के दौरान ही हो गई थी, परंतु वादीगण की ओर से उनके कायम मुकाम नहीं बनाए गये। अपीलांट के द्वारा जो साक्ष्य पेश की गई है, उसकी विवेचना नहीं की गई है। काउंटर क्लेम पर कोई तनकी कायम नहीं की है। वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है। उनका दावा चलने योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से लिखित बहस भी पेश की गई है, जो शामिल फाईल की गई है। लिखित बहस में यह कथन किया है कि प्रतिवादी नं. 7 भंवरसिंह की विधिवत् इत्तला नहीं कराई गई है। भंवरसिंह की मृत्यु दिनांक 03–09–2009 को हो चुकी है, जिसका ज्ञान वादीगण को है। उनके कायम मुकाम नहीं बनाए गये है। सम्मन जो भंवरसिंह को जारी किया गया है, उसकी तामील विधिसम्मत नहीं है। न तो गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये है और न ही तामील कुनिंदा का शपथ पत्र सलंग्न किया गया है। काउंटर क्लेम पर कोई तनकी कायम नहीं की गई है। वादी आराजी पर पैतृक सिद्ध नहीं कर पाये है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादीगण का नहीं है। तनकीयात

की विधिसम्मत विवेचना नहीं की गई है। अपीलांट 40 सालों से वादग्रस्त आराजी पर काबिज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2009 (एससी) पृष्ठ 244, डीएनजे 2009 (एससी) पृष्ठ 724, आरएलडब्ल्यू 1997 (3)राजस्थान पृष्ठ 1719, डब्ल्यूएलसी (राजस्थान) यूसी 2010 पृष्ठ 702 उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दोराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंटगण के खाते की है। भू–प्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से अपीलांट के खाते में दर्ज की है। अपीलांट का काउंटर क्लेम प्रमाणित नहीं है। उनके काउंटर क्लेम पर तनकी नं. 2 कायम की गई थी। सीपीसी के ऑर्डर 22 रूल 4 (4) के अनुसार ऐसा प्रतिवादी जो प्रतिवाद करने में असमर्थ रहता है, उसके विधिक प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

अपीलांट ने अपील में भंवरसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति पेश की है परंतु असल मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी संवत् 2063 से 66 एक्जीविट 1 सलंग्न है, जिसमें वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है। प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल की नकल है। प्रदर्श –3 नकल जमाबंदी संवत् 2024 से 27 है, जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नं.132 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कालू सिंह के खाते में दर्ज है। नकल जमांबदी प्रदर्श– 4 के अनुसार साबिक

खसरा नं. 129 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा नाथूसिंह के खाते में दर्ज है। नकल जमाबंदी सवंत् 2030 से 49 भू–प्रबन्ध विभाग के अनुसार हाल खसरा नं. 167 इन्द्रसिंह के खाते में दर्ज की गई है। नकल जमाबंदी प्रदर्श 6 के अनुसार इन्द्रसिंह के खाते में कुल 22 किता 23 बीघा 6 बिस्वा आराजी दर्ज है। पत्रावली पर कालूसिंह के खाते की एक नकल और पेश की गई है, जिसके अनुसार उनके खाते में साबिक खसरा नं. 129 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा और 132 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा दर्ज है। बयान नवल सिंह पी डब्ल्यू–1, रामसिंह पी डब्ल्यू–2, मांगूसिंह पी डब्ल्यू–3 कराये गये है। प्रतिवादी की ओर से बयान करणसिंह डी डब्ल्यू–1, दूल्हे सिंह डी डब्ल्यू–2, गंगाराम डी डब्ल्यू–3, प्रताप सिंह डी डब्ल्यू–4, जोरावर सिंह डी डब्ल्यू–5 करवाये गये है। पत्रावली पर प्रतिवादी नं. 1, 2 और 3 की ओर से जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया गया है और यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है और 40 वर्षों से लगातार कब्जे में है। अतः उनके पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाये।

मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नं. 167 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा साबिक खसरा नं. 129 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा और 132 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा से बना है व मुताबिक नकल जमाबंदी एक्जीविट पी–3 साबिक खसरा नं. 132 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा कालूसिंह के खाते में दर्ज है। इसी प्रकार मुताबिक नकल जमाबंदी एक्जीविट पी–4 साबिक खसरा नं. 129 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा नाथूसिंह के खाते में दर्ज है। नाथूसिंह कालूसिंह के पिता है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी नाथूसिंह और कालूसिंह के खाते की है जो वादीगण के पूर्वज है। भू–प्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से एक्जीविट –5 के अनुसार इन्द्रसिंह के खाते में दर्ज की है। भू–प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार बिना किसी वैध दस्तावेज के आराजी इन्द्रसिंह के खाते में दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी अपीलांटगण ने अपने जवाब दावे व काउंटर क्लेम में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिसके

अनुसार यह आराजी विधिक रूप से विधिक रूप से उनके पिता के खाते में दर्ज हुई हो।

अपील में अपीलांटगण का यह कथन है कि प्रतिवादी नं. 7 की अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण लंबित रहने के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, उनके कायम मुकाम को रिकार्ड में लिये बिना ही दावा डिक्री किया है और प्रतिवादी नं. 7 की विधिक रूप से तामील भी नहीं कराई गई है। अपील अपीलांटगण 1 लगायत 8 के द्वारा पेश की गई है जिसमें अपीलांट नम्बर 7 के कायम मुकामान के जरिये अपील पेश की है ।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट नम्बर 1, 2, 3 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया था और प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6, 7, 8 के द्वारा तामील लेने से इंकार किया जाना अंकित है । प्रतिवादी नम्बर 7, 8 को जो तामील जारी हुई है उनका अवलोकन किया गया हरिसिंह प्रतिवादी नम्बर 8 की तामील के पृष्ठ भाग पर अंकित है कि लेने से इंकार किया और तामील कुनिन्दा के हस्ताक्षर है । किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट नम्बर 1 की तामील के पृष्ठ भाग पर करण सिंह ने लेने से इंकार किया गया है परन्तु उनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय में वकालतनामा पेश किया गया है । नैनसिंह की तामील के पृष्ठ भाग पर और प्रताप सिंह के तामील के पृष्ठ भाग पर लेने से इंकार किया गया है, परन्तु उनके द्वारा वकालतनामा अधीनस्थ नयायालय में पेश किया गया है । मोहन बाई की तामील रिपोर्ट सलंग्न नहीं है । गुड्डी बाई और मुन्नी बाई द्वारा लेने से इंकार अंकित है । भंवर सिंह की तामील पर लेने से इंकार किया जाना अंकित है परन्तु उस पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है । अपीलांट नबर 1, 2, 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने जवाबदावा पेश किया है । अपीलांट नम्बर 4 लगायत 8 तामील

विधि सम्मत नहीं है क्योंकि लेने से इंकार किया जाना अंकित है जिसमें गवाहों के हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से तामील सम्यक नहीं मानी जा सकती । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांटगण ने जो मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की है उसके अनुसार भंवर सिंह की मृत्यु अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री से पूर्व हो चुकी थी इन तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में अपीलांटगण 4 लगायत 8 को सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2014 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण 4 लगायत 8 को जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान कर उनके जवाबदावे के आधार पर यदि कोई अतिरिक्त तनकी कायम करनी हो तो कायम की जाकर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.03.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक **02.01.2018** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा